पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी,जिलाहनुमानगढ़

पीठासीनअधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 268/2019

अनवान :

1. पप्पू पुत्र दानाराम जाति बाल्मिकी निवारी चक 8 एस.बी.एन तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. तहसीलदार राजस्व टिब्बी

प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा

88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थितिः–1 अधिवकता श्री अरविन्द नैण :–वादी

2 राजपैरोकार

डिक्री दिनांक 23/12/24

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री अरविन्द नैण व राजपैरोकार अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक नम्बर 8 एस.बी.एन के खाता संख्या 65/31 में कुल 2.530 हैक्टेयर आराजी में अंकित वादी की जाति मजहबी के स्थान पर जाति दुरूस्त कर बाल्मिकी दर्ज किया जावे। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कियदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/12/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner